

राजस्थान सरकार  
कॉलेज-शिक्षा

1  
8/1/10

2

50 Arza II

7/1

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4 (पॉलिसी) लेखा/अनु/ आकाशि/2010/7

दिनांक-4/1/10

- कुल सचिव,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।  
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।  
मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।  
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।  
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।  
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषय:- सत्र 2010-11 से नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2010-11 से राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त अनुदानित एवं निजी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों को नये विषय/संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नये विषय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

नवीन विषय/संकाय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनुदानित एवं गैर अनुदानित स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय सीधे ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय को आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त करें ।

*(Signature)*

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा,  
राज., जयपुर